Dy. Chief Inspector of Factories

(28)

70

रजिर. सं. डी.एल.—33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

REGISTERED No. D.L.—33002/99

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 124] दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 6, 2010/श्रावण 15, 1932 [रा.रा.रा.क्षे. दि. सं. 111
No. 124] DELHI, FRIDAY, AUGUST 6, 2010/SHRAVANA 15, 1932 [N.C.T.D. No. 111

भाग—IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

श्रम विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 6 अगस्त, 2010

सं. फा. 1/31/404/एल.सी./स्था./06/2289.–गृह मंत्रालय भारत सरकार की दिनांक 24 सितम्बर, 1968 की अधिसूचना संख्या फा. 24/78/68/डी.एच. (एस) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के उपराज्यपाल, संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व परामर्श के पश्चात् :—

1. इस सरकार के अधीन श्रम विभाग में उप मुख्य कारख़ाना निरीक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु आवश्यक योग्यताओं और भर्ती पद्धति के संबंध में यहां संलग्न अनुसूची में नियम बनाते हैं, तथा

2. इस सरकार की दिनांक 29 मई, 1989 की अधिसूचना सं. फा. 3 (39)/84-एल.सी./स्था. के द्वारा इस सरकार के श्रम विभाग में उप मुख्य कारखाना निरीक्षक के पद के भर्ती नियमों को रद्द करते हैं ।

अनुसूची

पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	क्या चयन वरिष्ठता के आधार पर है या चयन एवं वरिष्ठता या गैर-चयन पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु-सीमा	क्या के. सि. से. (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत जोड़े गये सेवा वर्षों का लाभ ग्राहय है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
उप मुख्य कारखाना निरीक्षक	*4 (2009) * इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर ।	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित, लिपिकीय	15,600-39,100 रु. पे बैंड-3 (ग्रेड पे-5400)	चयन	लागू नहीं	लागू नहीं

सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु-सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत
(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं	लागू नहीं	दो वर्ष	पदोन्नति, जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा ।

यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाना है	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है
(12)	(13)	(14)
पदोन्नति :—कारखाना निरीक्षक जो वेतन बैंड-2 में है तथा 4200 रुपये के ग्रेड वेतन तथा 9300-34800 रुपये के वेतनमान में हों तथा ग्रेड में 8 वर्ष की नियमित सेवा हो । **टिप्पण** : वह कनिष्ठ जिन्होंने अपनी अर्हता/योग्यता सेवा पूरी कर ली है, पदोन्नति के लिये उन पर विचार किया जा रहा है । उनके वरिष्ठों पर भी विचार किया जाएगा। शर्त यह है कि उनकी अपेक्षित अर्हता/योग्यता सेवा ऐसी अर्हता/योग्यता सेवा के आधे से कम न हो या दो वर्ष से कम न हो इनमें से जो भी कम हो तथा उन्होंने अपने उन कनिष्ठों के साथ अगले उच्च ग्रेड पर पदोन्नति हेतु परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो जिन्होंने पहले से ही ऐसी अर्हता/योग्यता सेवा पूरी की हो। **प्रतिनियुक्ति :**— केन्द्रीय/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के निम्नलिखित अधिकारी :— क. (1) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर समरूप पदधारण करने वाले, अथवा (2) मूल संवर्ग/विभाग में वेतन बैंड-2 में तथा 4200 रुपये के ग्रेड वेतन तथा 9300-34800 रुपये के वेतनमान में तथा ग्रेड में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा या समकक्ष, तथा ख. निम्नलिखित शैक्षिक योग्यताएं एवं अनुभव रखने वाले :— (1) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट स्तर तक अच्छी सामान्य शिक्षा, (2) डिग्री या डिप्लोमा जो इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी या औषधि की किसी शाखा में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री के समकक्ष हो,	**ग्रुप "क" विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति के लिये)** 1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग —अध्यक्ष 2. मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार —सदस्य 3. संबंधित प्रभाग के सचिव राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार —सदस्य 4. संबंधित विभागाध्यक्ष, जब तक वह प्रशासन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, में पदेन सचिव न हो —सदस्य	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है ।

(12)

(3) किसी कार्यशाला या प्रतिष्ठित विनिर्माण उद्योग में दो वर्ष का व्यवहारिक अनुभव वाले और यदि चिकित्सा निरीक्षक हैं तो सार्वजनिक अस्पताल या कारखाना चिकित्सा विभाग में दो वर्ष का अनुभव या वैकल्पिक रूप से औद्योगिक औषध में डिप्लोमा ।

(भरक श्रेणी के विभागीय अधिकारी जोकि पदोन्नति की सीधी श्रृंखला में हैं वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे । इसी तरह, प्रतिनियुक्ति वाले भी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे)।

प्रतिनियुक्ति की अवधि इसमें उसी या केन्द्र सरकार के किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर–संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि भी सम्मिलित है (सामान्य: तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु–सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तारीख को छप्पन (56) वर्ष से अधिक नहीं होगी) ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के उपराज्यपाल के आदेश तथा नाम पर,

आर. के. श्रीवास्तव, सचिव

LABOUR DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 6th August, 2010

No. F. 1/31/404/LC/Estt./06/2289.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. F. 24/78/68/DH(S), dated the 24th September, 1968, the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi, after prior consultation with the Union Public Service Commission, is pleased to :—

(i) Make the rules in the Schedule annexed hereto regarding the method of recruitment and qualifications necessary for appointments to the post of Deputy Chief Inspector of Factories in the Office of the Labour Commissioner, Government of National Capital Territory of Delhi, and

(ii) To Cancel the recruitment rules for the post of Deputy Chief Inspector of Factories, in the Office of the Labour Commissioner, Government of National Capital Territory of Delhi, notified by Notification No. F. 3(39)/84-LC/Estt., dated 29th May, 1989.

31

67

SCHEDULE

Name of Post	No. of posts	Classification	Scale of Pay	Whether selection or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible	Age-limit for Direct Recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Deputy Chief Inspector of Factories	*4 (2009) *Subject to variation dependent on workload.	GCS, Group A Gazetted, Ministerial	Rs. 15600-39100 in Pay Band-3 (Grade Pay 5400)	Selection	NA	NA

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any
(8)	(9)	(10)
NA	NA	2 years

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and % of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made.
(11)	(12)
Promotion failing which by deputation.	**Promotion** Inspector of Factories with Grade Pay of Rs. 4200 in Pay Band-2 in the scale of pay of Rs. 9300-34800 with 8 years regular service in the grade. Note : Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service. **Deputation** Officers under the Central/State Govts./Union Territories: (a) (i) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre/department; or (ii) With five year's service in the grade rendered after appointment there to on a regular basis in the Grade Pay of Rs. 4200 in the Pay Band-2 scale of pay of Rs. 9300-34800 Or equivalent in the parent cadre/department, and (b) Possessing the following educational qualifications and experience:— (i) A good general education up to the Intermediate Standard of a recognized university. (ii) A degree or diploma equivalent to a degree of a recognized university in any branch of Engineering Technology or Medicine,

(12)

(iii) Having 2 yrs practical experience in a workshop or a manufacturing concern of good standing and in the case of Medical Inspector two years experience in a Public Hospital or Factory Medical Department or alternately a diploma in Industrial Medicine.

(The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion).

(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications).

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(13)	(14)
Group 'A' DPC (for considering promotion) :— 1. Chairman or a Member of UPSC —Chairman 2. Chief Secretary, GNCT of Delhi —Member 3. Secretary of the Division concerned, GNCT of Delhi —Member 4. Head of the department concerned unless he is ex-officio Secretary in the Administration, GNCT of Delhi —Member	Consultation which Union Public Service Commission necessary on each occasion.

By Order and in the Name of the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi,

R. K. SRIVASTAVA, Secy.

3092 DS/10-2

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.